

THE CHILD AND ADOLESCENT LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986*

(61 of 1986)

[23rd December, 1986]

[An Act to prohibit the engagement of children in all occupations and to prohibit the engagement of adolescents in hazardous occupations and processes and the matters connected therewith or incidental thereto.]

BE it enacted by Parliament in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

PART I PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called ²[the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986].

(2) It extends to the whole of India.

(3) The provisions of this Act, other than Part III, shall come into force at once, and Part III shall come into force on such date³ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different States and for different classes of establishments.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

⁴[(i) “adolescent” means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year;]

⁵[(ia)] “appropriate Government” means, in relation to an establishment under the control of the Central Government or a railway administration or a major port or a mine or oilfield, the Central Government, and in all other cases, the State Government;

⁶[(ii) “child” means a person who has not completed his fourteenth year of age or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), whichever is more;]

* By section 3 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (35 of 2016) nomenclature of the Act has been substituted for “the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986).”

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 2, for “An Act to prohibit the engagement of children in certain employments and to regulate the conditions of work of children in certain other employments.”

2. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 3, for “the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986”.

3. Part III came into force on 26th May, 1993, vide S.O. 333(E), dated 26th May, 1993.

4. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 4(a).

5. Clause (i) renumbered as clause (ia) thereof by Act 35 of 2016, sec. 4(a).

6. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 4(b), for clause (ii). Clause (ii), before substitution, stood as under:

“(ii) “child” means a person who has not completed his fourteenth year of age;”

- (iii) "day" means a period of twenty-four hours beginning at mid-night;
- (iv) "establishment" includes a shop, commercial establishment, workshop, farm, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment;
- (v) "family", in relation to an occupier, means the individual, the wife or husband, as the case may be, of such individual, and their children, brother or sister of such individual;
- (vi) "occupier", in relation to an establishment or a workshop, means the person who has the ultimate control over the affairs of the establishment or workshop;
- (vii) "port authority" means any authority administering a port;
- (viii) "prescribed" means prescribed by rules made under section 18;
- (ix) "week" means a period of seven days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Inspector;
- (x) "workshop" means any premises (including the precincts thereof) wherein any industrial process is carried on, but does not include any premises to which the provisions of section 67 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), for the time being, apply.

PART II

PROHIBITION OF EMPLOYMENT OF CHILDREN IN CERTAIN OCCUPATIONS AND PROCESSES

¹[3. Prohibition of employment of children in any occupation and process.—(1) No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply where the child,—

- (a) helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupations or processes set forth in the Schedule, after his school hours or during vacations;
- (b) works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, television serials or any such other entertainment or sports activities except the circus, subject to such conditions and safety measures, as may be prescribed:

Provided that no such work under this clause shall effect the school education of the child.

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 5, for section 3. Section 3, before substitution, stood as under:

"3. Prohibition of employment of children in certain occupations and processes.—No child shall be employed or permitted to work in any of the occupations set forth in Part A of the Schedule or in any workshop wherein any of the processes set forth in Part B of the Schedule is carried on:

Provided that nothing in this section shall apply to any workshop wherein any process is carried on by the occupier with the aid of his family or to any school established by, or receiving assistance or recognition from, Government."

Explanation.—For the purposes of this section, the expression,

- (a) "family" in relation to a child, means his mother, father, brother, sister and father's sister and brother and mother's sister and brother;
- (b) "family enterprise" means any work, profession, manufacture or business which is performed by the members of the family with the engagement of other persons;
- (c) "artist" means a child who performs or practices any work as a hobby or profession directly involving him as an actor, singer, sports person or in such other activity as may be prescribed relating to the entertainment or sports activities falling under clause (b) of sub-section (2).]

¹[3A. Prohibition of employment of adolescents in certain hazardous occupations and processes.—No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the hazardous occupations or processes set forth in the Schedule:

Provided that the Central Government may, by notification, specify the nature of the non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under this Act.]

4. Power to amend the Schedule.—The Central Government, after giving by notification in the Official Gazette, not less than three months' notice of its intention so to do, may, by like notification, ²[add to, or, omit from, the Schedule any hazardous occupation or process] and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

5. ³[Technical Advisory Committee].—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute an advisory committee to be called the ⁴[Technical Advisory Committee] (hereafter in this section referred to as the Committee) to advise the Central Government for the purpose of addition of occupations and processes to the Schedule.

(2) The Committee shall consist of a Chairman and such other members not exceeding ten, as may be appointed by the Central Government.

(3) the Committee shall meet as often as it may consider necessary and shall have power to regulate its own procedure.

(4) The Committee may, if it deems it necessary so to do, constitute one or more sub-committees and may appoint to any such sub-committee, whether generally or for the consideration of any particular matter, any person who is not a member of the Committee.

1. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 6.

2. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 7, for "add any occupation or process to the Schedule".

3. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 8(i), for "Child Labour Technical Advisory Committee".

4. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 8(ii), for "Child Labour Technical Advisory Committee".

(5) The term of office of, the manner of filling casual vacancies in the office of, and the allowance, if any, payable to, the Chairman and other members of the Committee, and the conditions and restrictions subject to which the Committee may appoint any person who is not a member of the Committee as a member of any of its sub-committees shall be such as may be prescribed.

PART III

REGULATION OF CONDITIONS OF WORK OF ¹[ADOLESCENTS]

6. **Application of Part.**—The provisions of this Part shall apply to an establishment or a class of establishments in which none of the occupations or processes referred to in ²[section 3A] is carried on.

COMMENTS

This section regulates the working conditions of the adolescent in employments where they are not prohibited from working by section 3 of this Act.

7. **Hours and period of work.**—(1) No ³[adolescent] shall be required or permitted to work in any establishment in excess of such number of hours as may be prescribed for such establishment or class of establishments.

(2) The period of work on each day shall be so fixed that no period shall exceed three hours and that no ³[adolescent] shall work for more than three hours before he has had an interval for rest for at least one hour.

(3) The period of work of a ³[adolescent] shall be so arranged that inclusive of his interval for rest, under sub-section (2), it shall not be spread over more than six hours, including the time spent in waiting for work on any day.

(4) No ³[adolescent] shall be permitted or required to work between 7 p.m. and 8 a.m.

(5) No ³[adolescent] shall be required or permitted to work overtime.

(6) No ³[adolescent] shall be required or permitted to work in any establishment on any day on which he has already been working in another establishment.

COMMENTS

This section stipulates that no adolescent shall work for more than 3 hours before he has had an interval for rest for at least one hour. The double employment of a adolescent is banned.

8. **Weekly holidays.**—Every ⁴[adolescent] employed in an establishment shall be allowed in each week, a holiday of one whole day, which day shall be specified by the occupier in a notice permanently exhibited in a conspicuous

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 9, for "CHILDREN".

2. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 10, for "section 3".

3. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 11, for "child".

4. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 12, for "child".

place in the establishment and the day so specified shall not be altered by the occupier more than once in three months.

COMMENTS

The adolescent employed in an establishment is entitled for a holiday of one whole day in each week.

9. Notice to Inspector.—(1) Every occupier in relation to an establishment in which a ¹[adolescent] was employed or permitted to work immediately before the date of commencement of this Act in relation to such establishment shall, within a period of thirty days from such commencement, send to the Inspector within whose local limits the establishment is situated, a written notice containing the following particulars, namely:—

- (a) the name and situation of the establishment;
- (b) the name of the person in actual management of the establishment;
- (c) the address to which communications relating to the establishment should be sent; and
- (d) the nature of the occupation or process carried on in the establishment.

(2) Every occupier, in relation to an establishment, who employs, or permits to work, any ¹[adolescent] after the date of commencement of this Act in relation to such establishment, shall, within a period of thirty days from the date of such employment, send to the Inspector within whose local limits the establishment is situated, a written notice containing the particulars as are mentioned in sub-section (1).

Explanation.—For the purposes of sub-sections (1) and (2), “date of commencement of this Act, in relation to an establishment” means the date of bringing into force of this Act in relation to such establishment.

(3) Nothing in sections 7, 8 and 9 shall apply to any establishment wherein any process is carried on by the occupier with the aid of his family or to any school established by, or receiving assistance or recognition from, Government.

10. Disputes as to age.—If any question arises between an Inspector and an occupier as to the age of any ²[adolescent] who is employed or is permitted to work by him in an establishment, the question shall, in the absence of a certificate as to the age of such ²[adolescent] granted by the prescribed medical authority, be referred by the Inspector for decision to the prescribed medical authority.

11. Maintenance of register.—There shall be maintained by every occupier in respect of ³[adolescent] employed or permitted to work in any establishment, a register to be available for inspection by an Inspector at all times during working hours or when work is being carried on in any such establishment, showing—

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 13, for “child”.

2. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 14, for “child”.

3. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 15(a), for “children”.

- (a) the name and date of birth of every ¹[adolescent] so employed or permitted to work;
- (b) hours and periods of work of any such ¹[adolescent] and the intervals of rest to which he is entitled;
- (c) the nature of work of any such ¹[adolescent]; and
- (d) such other particulars as may be prescribed.

12. **Display of notice containing abstract of ²[sections 3A and 14].**—Every railway administration, every port authority and every occupier shall cause to be displayed in a conspicuous and accessible place at every station on its railway or within the limits of a port or at the place of work, as the case may be, a notice in the local language and in the English language containing an abstract of ³[sections 3A and 14].

13. **Health and safety.**—(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the health and safety of the ⁴[adolescent] employed or permitted to work in any establishment or class of establishments.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the said rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) cleanliness in the place of work and its freedom from nuisance;
- (b) disposal of wastes and effluents;
- (c) ventilation and temperature;
- (d) dust and fume;
- (e) artificial humidification;
- (f) lighting;
- (g) drinking water;
- (h) latrine and urinals;
- (i) spittoons;
- (j) fencing of machinery;
- (k) work at or near machinery in motion;
- (l) employment of ⁴[adolescent] on dangerous machines;
- (m) instructions, training and supervision in relation to employment of ⁴[adolescent] on dangerous machines;
- (n) device for cutting off power;
- (o) self-acting machines;

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 15(b), for "child".

2. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 16(a), for "sections 3 and 14".

3. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 16(b), for "sections 3 and 14".

4. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 17, for "children".

- (p) easing of new machinery;
- (q) floor, stairs and means of access;
- (r) pits, sumps, openings in floors, etc.;
- (s) excessive weights;
- (t) protection of eyes;
- (u) explosive or inflammable dust, gas, etc.;
- (v) precautions in case of fire;
- (w) maintenance of buildings; and
- (x) safety of buildings and machinery.

COMMENTS

The appropriate Government is empowered to make rules in such matters as cleanliness, disposal of wastes, dust, lighting, precaution against fire, protection of eyes, spittoons and ventilations, etc., in any establishment for the health and safety of the adolescents employed or permitted to work.

PART IV

MISCELLANEOUS

14. Penalties.—¹[(1) Whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees, or with both:

Provided that the parents or guardians of such children shall not be punished unless they permit such child for commercial purposes in contravention of the provisions of section 3.]

¹[(1A) Whoever employs any adolescent or permits any adolescent to work in contravention of the provisions of section 3A shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees, or with both:

Provided that the parents or guardians of such adolescent shall not be punished unless they permit such adolescent to work in contravention of the provisions of section 3A.]

¹[(1B) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (1A) the parents or guardians of any child or adolescent referred to in section 3 or section 3A, shall not be liable for punishment, in case of the first offence.]

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 18(a), for sub-section (1). Sub-section (1), before substitution, stood as under:

"(1) Whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both."

¹[(2) Whoever, having been convicted of an offence under section 3 or section 3A commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years.]

¹[(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the parents or guardian having been convicted of an offence under section 3 or section 3A, commits a like offence afterwards, he shall be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees.]

(3) Whoever—

²[***]

(d) fails to comply with or contravenes any other provisions of this Act or the rules made thereunder,

shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

³[14A. Offences to be Cognizable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any offence committed by an employer and punishable under section 3 or section 3A shall be cognizable.]

³[14B. Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.—(1) The appropriate Government shall constitute a Fund in every district or for two or more districts to be called the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund to which the amount of the fine realized from the employer of the child and adolescent, within the jurisdiction of such district or districts shall be credited.

(2) The appropriate Government shall credit an amount of fifteen thousand rupees to the Fund for each child or adolescent for whom the fine amount has been credited under sub-section (1).

(3) The amount credited to the Fund under sub-section (1) and (2) shall be deposited in such banks or invested in such manner, as the appropriate Government may decide.

(4) The amount deposited or invested, as the case may be under sub-section (3), and the interest accrued on it, shall be paid on the child or adolescent in whose favour such amount is credited, in such manner as may be prescribed.

1. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 18(b), for sub-section (2). Sub-section (2), before substitution, stood as under:

"(2) Whoever, having been convicted of an offence under section 3, commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years."

2. Clauses (a), (b) and (c) omitted by Act 35 of 2016, sec. 18(c). Clauses (a), (b) and (c), before omission, stood as under:

"(a) fails to give notice as required by section 9; or

(b) fails to maintain a register as required by section 11 or makes any false entry in any such register; or

(c) fails to display a notice containing an abstract of section 3 and this section as required by section 12; or"

3. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 19.

Explanation.—For the purposes of appropriate Government the Central Government shall include the Administrator or the Lieutenant Governor of a Union territory under article 239A of the Constitution.]

¹[14C. **Rehabilitation of rescued child or adolescent.**—The child or adolescent, who is employed in contravention of the provisions of this Act and rescued, shall be rehabilitated in accordance with the laws for the time being in force.]

¹[14D. **Compounding of offences.**—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the District Magistrate may, on the application of the accused person, compound any offence committed for the first time by him, under sub-section (3) of section 14 or any offence committed by an accused person being parent or a guardian, in such manner and on payment of such amount to the appropriate Government, as may be prescribed.

(2) If the accused fails to pay such amount for composition of the offence, then, the proceedings shall be continued against such person in accordance with the provisions of this Act.

(3) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(4) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on the approval of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded, shall be discharged.]

15. Modified application of certain laws in relation to penalties.—(1) Where any person is found guilty and convicted of contravention of any of the provisions mentioned in sub-section (2), he shall be liable to penalties as provided in sub-sections (1) and (2) of section 14 of this Act and not under the Acts in which those provisions are contained.

(2) The provisions referred to in sub-section (1) are the provisions mentioned below:

- (a) section 67 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (b) section 40 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (c) section 109 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); and
- (d) section 21 of the Motor Transport Workers Act, 1961 (27 of 1961).

COMMENTS

Sections of the above quoted Acts are reproduced below:—

- (i) Section 67 of the Factories Act, 1948:

No child who has not completed his fourteenth year shall be required or allowed to work in any factory.

1. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 19.

(ii) Section 40 of the Mines Act, 1952:

- (1) After the commencement of the Mines (Amendment) Act, 1983, no person below 18 years of age shall be allowed to work in any mine or part thereof.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), apprentices and other trainees, not below sixteen years of age, may be allowed to work, under proper supervision, in a mine or part thereof by the manager.

Provided that in case of trainees, other than apprentices, prior approval of the Chief Inspector or an Inspector shall be obtained before they are allowed to work.

Explanation.—In this section and in section 43, "apprentice" means an apprentice as defined in clause (a) of section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961).

Clause (a) of section 2 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) defines "apprentice" as:

Apprentice means a person who is undergoing apprenticeship training in pursuance of a contract of apprenticeship.

(iii) Section 109 of the Merchant Shipping Act, 1958:

No person under fifteen years of age shall be engaged or carried to sea to work in any capacity in any ship, except—

- (a) in a school ship, or training ship, in accordance with the prescribed conditions; or
- (b) in a ship in which all persons employed are members of one family; or
- (c) in a home-trade ship of less than two hundred tons gross; or
- (d) where such person is to be employed on nominal wages and will be in the charge of his father or other adult near male relative.

(iv) Section 21 of the Motor Transport Workers Act, 1961:

No child shall be required or allowed to work in any capacity in any motor transport undertaking.

16. Procedure relating to offences.—(1) Any person, police officer or Inspector may file a complaint of the commission of an offence under this Act in any court of competent jurisdiction.

(2) Every certificate as to the age of a child which has been granted by a prescribed medical authority shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence as to the age of the child to whom it relates.

(3) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

17. Appointment of Inspectors.—The appropriate Government may appoint Inspectors for the purposes of securing compliance with the provisions of this Act and any Inspector so appointed shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

COMMENT

The Inspectors appointed under section 17 would see that for each child employed in violation of the provisions of the Act, the concerned employer pays Rs. 20,000 which sum could be deposited in a fund to be known as Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund; *M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu*, AIR 1997 SC 699.

¹[17A. District Magistrate to implement the provisions.—The appropriate Government may confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer, subordinate to him, who shall exercise all or any of the powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer as may be prescribed.]

¹[17B. Inspection and monitoring.—The appropriate Government shall make or cause to be made periodic inspection of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out at such intervals as it thinks fit, and monitor the issues, relating to the provisions of this Act.]

18. Power to make rules.—(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

²[(a) the conditions and the safety measures under clause (b) of sub-section (2) and other activities under clause (b) to Explanation of sub-section (2) of section 3;]

³[(b)] the term of office of, the manner of filling casual vacancies of, and the allowances payable to, the Chairman and members of the ⁴[Technical Advisory Committee] and the conditions and restrictions subject to which a non-member may be appointed to a sub-committee under sub-section (5) of section 5;

⁵[(c)] number of hours for which a ⁶[adolescent] may be required or permitted to work under sub-section (1) of section 7;

1. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 20.

2. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 21(i).

3. Clause (a) relettered as clause (b) thereof by Act 35 of 2016, sec. 21(i).

4. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 21(ii), for "Child Labour Technical Advisory Committee".

5. Clauses (b), (c) and (d) relettered as clauses (c), (d) and (e) thereof by Act 35 of 2016, sec. 21(iii).

6. Subs. by Act 35 of 2016, sec. 21(iii), for "child".

- ¹[(d)] grant of certificates of age in respect of young persons in employment or seeking employment, the medical authorities which may issue such certificate, the form of such certificate, the charges which may be made thereunder and the manner in which such certificate may be issued:

Provided that no charge shall be made for the issue of any such certificate if the application is accompanied by evidence of age deemed satisfactory by the authority concerned;

- ¹[(e)] the other particulars which a register maintained under section 11 should contain.
- ²[(f)] the manner of payment of amount to the child or adolescent under sub-section (4) of section 14B;
- ²[(g)] the manner of composition of the offence and payment of amount to the appropriate Government under sub-section (1) of section 14D;
- ²[(h)] the powers to be exercised and the duties to be performed by the officer specified and the local limits within which such powers or duties shall be carried out under section 17A.]

19. Rules and notifications to be laid before Parliament or State legislature.—(1) Every rule made under this Act by the Central Government and every notification issued under section 4, shall be laid as soon as may be after it is made or issued, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or both Houses agree that the rule or notification should not be made or issued, the rule or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification.

(2) Every rule made by a State Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the legislature of that State.

20. Certain other provisions of law not barred.—Subject to the provisions contained in section 15, the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951) and the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

21. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published

1. Clauses (b), (c) and (d) relettered as clauses (c), (d) and (e) thereof by Act 35 of 2016, sec. 21(iii).

2. Ins. by Act 35 of 2016, sec. 21(iv).

in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Act receives the assent of the President.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of Parliament.

22. Repeal and savings.—(1) The Employment of Children Act, 1938 (26 of 1938), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

***23. Amendment of Act 11 of 1948.**—In section 2 of the Minimum Wages Act, 1948,—

(i) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:—

‘(a) “adolescent” means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year;

(aa) “adult” means a person who has completed his eighteenth year of age;’

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(bb) “child” means a person who has not completed his fourteenth year of age.’

***24. Amendment of Act 69 of 1951.**—In the Plantations Labour Act, 1951,—

(a) in section 2, in clauses (a) and (c), for the word “fifteenth”, the word “fourteenth” shall be substituted;

(b) section 24 shall be omitted;

(c) in section 26, in the opening portion, the words “who has completed his twelfth year” shall be omitted.

***25. Amendment of Act 44 of 1958.**—In the Merchant Shipping Act, 1958, in section 109, for the word “fifteen”, the word “fourteen” shall be substituted.

***26. Amendment of Act 27 of 1961.**—In the Motor Transport Workers Act, 1961, in section 2, in clauses (a) and (c), for the word “fifteenth”, the word “fourteenth” shall be substituted.

* Sections 23 to 26 have been repealed by section 2 and First Schedule of the Repealing and Amending Act, 2001 (30 of 2001) (w.e.f. 3-9-2001). The repeal by this Act shall not effect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to.

THE SCHEDULE

(See section 3A)

(1) Mines.

1. Subs. by Act 35 of 2016, for Schedule. Earlier the Schedule was amended by S.O. 2469(E), dated, 8th October, 2010, S.O. 2280(E), dated 25th September, 2008, S.O. 1742(E), dated 10th October, 2006, S.O. 397(E), dated 10th May, 2001, by S.O. 36(E), dated 27th January, 1999, S.O. 263(E), dated 29th March, 1994, and by S.O. 404(E), dated 5th June, 1989. The Schedule, before substitution, stood as under:

THE SCHEDULE

(See section 3)

PART A

OCCUPATIONS

An occupation connected with—

- (1) Transport of passengers, goods or mails by railway;
- (2) Cinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premises;
- (3) Work in a catering establishment at a railway station, involving the movement of a vendor or any other employee of the establishment from one platform to another or into or out of a moving train;
- (4) Work relating to the construction of a railway station or with any other work where such work is done in close proximity to or between the railway lines;
- (5) A port authority within the limits of any port;
- (6) Work relating to selling of crackers and fireworks in shops with temporary licences;
- (7) Abattoirs/slaughter Houses;
- (8) Automobile workshop and garages;
- (9) Foundries;
- (10) Handling of toxic or inflammable substances or explosives;
- (11) Handloom and powerloom industry;
- (12) Mines (underground and underwater) and collieries;
- (13) Plastic units and fibreglass workshops;
- (14) Employment of children as domestic workers or servants;
- (15) Employment of children in dhabas (road side eateries), restaurants, hotels, motels, tea shops, resorts, spas or other recreational centres;
- (16) Diving;
- (17) Circus;
- (18) Caring of Elephants.

PART B

PROCESSES

- (1) Bidi-making;
- (2) Carpet-weaving including preparatory and incidental process thereof;
- (3) Cement manufacture, including bagging of cement;
- (4) Cloth printing, dyeing and weaving including processes, preparatory and incidental thereto;
- (5) Manufacture of matches, explosives and fire-works;
- (6) Mica-cutting and splitting;
- (7) Shellac manufacture;
- (8) Soap manufacture;

Contd. on next page

- (2) Inflammable substances or explosives.
- (3) Hazardous process.

Contd. from previous page

- (9) Tanning;
- (10) Wool-cleaning;
- (11) Building and construction industry including processing and polishing of granite stones;
- (12) Manufacture of slate pencils (including packing);
- (13) Manufacture of products from agate;
- (14) Manufacturing processes using toxic metals and substances, such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos;
- (15) 'Hazardous process' as defined in section 2 (cb) and 'dangerous operation' as notified in rules under section 87 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (16) Printing as defined in section 2(k) (iv) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
- (17) Cashew and cashewnut descaling and processing;
- (18) Soldering processes in electronics industries;
- (19) 'Aggarbatti' manufacturing;
- (20) Automobile repairs and maintenance including processes incidental thereto, namely, welding, lathe work, dent beating and painting;
- (21) Brick kilns and roof tiles units;
- (22) Cotton ginning and processing and production of hosiery goods;
- (23) Detergent manufacturing;
- (24) Fabrication workshops (ferrous and non-ferrous);
- (25) Gem cutting and polishing;
- (26) Handling of chromite and manganese ores;
- (27) Jute textile manufacture and coir making;
- (28) Lime kilns and manufacture of lime;
- (29) Lock making;
- (30) Manufacturing processes having exposure to lead such as primary and secondary smelting, welding and cutting of lead-painted metal constructions, welding of galvanized or zinc silicate, polyvinyl chloride, mixing (by hand) of crystal glass mass, sanding or scrapping of lead paint, burning of lead in enamelling workshops, lead mining, plumbing, cable making, wire patenting, lead casting, type founding in printing shops, Store type setting, assembling of cars, shot making and lead glass blowing;
- (31) Manufacture of cement pipes, cement products and other related work;
- (32) Manufacturing of glass, glassware including bangles, fluorescent tubes, bulbs and other similar glass products;
- (33) Manufacture of dyes and dye stuff;
- (34) Manufacturing or handling of pesticides and insecticides;
- (35) Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances, metal cleaning and photo engraving and soldering processes in electronic industry;
- (36) Manufacturing of burning coal and coal briquettes;
- (37) Manufacturing of sports goods involving exposure to synthetic materials, chemicals and leather;
- (38) Moulding and processing of fibreglass and plastic;
- (39) Oil expelling and refinery;

Contd. on next page

Explanation.—For the purposes of this Schedule, "hazardous process" has the meaning assigned to it in clause (cb) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).]

Contd. from previous page

- (40) Paper making;
- (41) Potteries and ceramic industry;
- (42) Polishing, moulding, cutting, welding and manufacture of brass goods in all forms;
- (43) Process in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chaff cutting;
- (44) Saw mill—all processes;
- (45) Sericulture processing;
- (46) Skinning, dyeing and processes for manufacturing of leather and leather products;
- (47) Stone breaking and stone crushing;
- (48) Tobacco processing including manufacturing of tobacco, tobacco paste and handling of tobacco in any form;
- (49) Tyre making, repairing, re-treading and graphite beneficiation;
- (50) Utensils making, polishing and metal buffing;
- (51) 'Zari' making (all processes);
- (52) Electroplating;
- (53) Graphite powdering and incidental processing;
- (54) Grinding or glazing of metals;
- (55) Diamond cutting and polishing;
- (56) Extraction of slate from mines;
- (57) Rag picking and scavenging;
- (58) Processes involving exposure to excessive heat (e.g. working near furnace) and cold;
- (59) Mechanised fishing;
- (60) Food Processing;
- (61) Beverage Industry;
- (62) Timber handling and loading;
- (63) Mechanical Lumbering;
- (64) Warehousing;
- (65) Processes involving exposure to free silica such as slate, pencil industry, stone grinding, slate stone mining, stone quarries, agate industry, "



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2017/ ज्येष्ठ 12, 1939

No. 444]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2017/ JYAISTHA 12, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

सा. का. नि. 543(अ).— बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय प्रारूप नियम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 392(अ) तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में “बालक श्रम” शब्दों के स्थान पर “बालक और कुमार श्रम” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के नियम 2 में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(क) “अधिनियम” से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) अभिप्रेत है ;

(ख) “समिति” से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

(घक) “निधि” से अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (1) के अधीन गठित बालक और कुमार पुनर्वास निधि अभिप्रेत है ;

(घख) “निरीक्षक” से धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(घग) “नगरपालिका” से संविधान के अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वःसरकार की कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ङक) “पंचायत” से संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है ;

(iv) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ज) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो उनमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है ।’

4. मूल नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘2अ. अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता—केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,--

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियों, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता हैं, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके ;

(ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या कुमारों के नियोजन की घटनाओं की, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के आसानी से पहुंचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन ;

(ग) संभव परिमाण तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजास, पत्तनों और पत्तन प्राधिकरणों, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, मार्केट, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय हैं, में प्रदर्शन ;

(घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन ; और

(ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, केंद्रीय श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक हैं, के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना ।

2आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना—(1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,—

(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,—

- (i) अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी ;
- (ii) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा शृंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो ;
- (iii) में उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है ;
- (iv) में वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा ;
- (v) में वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप हैं, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई हैं ;
- (vi) में बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटों से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा ;
- (vii) में किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है ; और
- (viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी ;

(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल—

- (क) बालक का सगा भाई और बहन ;
- (ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन ; और
- (ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन,

को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.(1)— स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा ।

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक संसूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 17ग के उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना—(1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :--

- (क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घंटों से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;
- (ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्बलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यक्रमकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्ररूप ग में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्क्लेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरुपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो, के लिए सभी उपाय किए गए हैं ;
- (ग) खंड ख में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत—
 - (i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का सुनिश्चय ;
 - (ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार ;
 - (iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय ; और
 - (iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार है ;
- (घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;
- (ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित का सुनिश्चय किया जा सके ;
- (च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा ; और
- (छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीडा कार्यक्रमकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यक्रमकलाप भी हैं, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट “अन्य ऐसा कार्यक्रमकलाप” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा—

- (i) कोई कार्यक्रमकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है ;

- (ii) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज़ शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है ;
- (iii) नाटक सीरियल ;
- (iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी ; और
- (v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केंद्रीय सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदों के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है ।'।

5. मूल नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“15अ. कार्य के घंटों—धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने की ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं ।”।

6. मूल नियमों के नियम 16 में उपनियम (1) में “बालक” शब्द के स्थान पर “कुमार” शब्द रखा जाएगा ।

7. मूल नियमों के 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“16अ. बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय—(1) धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उद्भूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थात् :--

(i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और, यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ;

(ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उद्भूत ब्याज को अर्ध-वार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन ;

(iii) जब संबद्ध बालक या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उद्भूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, यथास्थिति, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी ; और

(iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हैं, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।

(2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

8. ‘मूल नियमों के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘17 आयु का प्रमाणपत्र- (1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह उपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे।

(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करने समय:-

(i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

(ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या, कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;

(iii) निगम या नगरपालिक प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार का जन्म प्रमाणपत्र पर विचार करेगा;

और खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।

(3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण अपर श्रम आयुक्त की पंक्ति के समुचित प्राधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्ररूप 'ख' में जारी किया जाएगा।

(5) आयु प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;

(ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।

9. मूल नियम के नियम 17 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्:-

"17क व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेगा- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति, पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, जो उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है।

17ख. अपराधों का शमन करने की रीति- (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,-

(i) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या

(ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,

धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात्, आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा-

(i) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या

(ii) खंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है और ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

17ग. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य- (1) जिला मजिस्ट्रेट-

- (i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।
- (iii) निम्नलिखित से मिलकर बनी जिले में बनाई जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा;-
 - (क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;
 - (ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;
 - (ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;
 - (घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;
 - (ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय);
 - (च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वर्तित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;
 - (छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और
 - (ज) जिला दुर्व्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;
 - (झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;
 - (ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;
 - (ट) जिला शिक्षा अधिकारी ;
 - (ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;
 - (ड) कार्य बल का सचिव खंड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें (क) निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जाएगा-

- (i) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्वर्धन बनाए गए नियम;
- (ii) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);
- (iii) केन्द्रीय बंधित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;
- (iv) कोई राष्ट्रीय बालक श्रम परियोजना;
- (v) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्याधीन-

- (I) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हों;
- (II) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

17घ, निरीक्षकों के कर्तव्य- धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए,

- (i) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;
- (ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और
- (iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट करेगा।

17ड. आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना- केन्द्रीय सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

- (i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं;
- (ii) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक केन्द्रीय सरकार को खंड (i) अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई के व्यौरों की रिपोर्ट करेगा;
- (iii) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना-
 - (क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उधमों में लगे हुए पाए जाते हैं;
 - (ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और व्यौरे;
 - (ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के व्यौरे; और
 - (घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के व्यौरे।

10. मूल नियम से संलग्न प्ररूप क के स्तंभ 2 के शीर्ष में, “बालक का नाम” शब्दों के स्थान पर “कुमार का नाम” शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल नियम से संलग्न प्ररूप ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप ग

[नियम 2इ(1)(ख) देखें]

बालक और कुमार श्रम

(प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध

मैं,..... वाणिज्यिक आयोजन..... का श्रव्य दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक..... का उत्पादक हूं जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात्:-

क्र. सं. बालको/बालकों का नाम माता-पिता/संरक्षक का नाम पता

यह वचन देता हूँ कि..... आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) और बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी वचन देता हूँ कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरुद्ध विधिक उपबंध भी हैं, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

तारीख.....

नाम और हस्ताक्षर।”।

[सं.ए-42025/2/2004-सीएल (खंड IV)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 847(अ) तारीख 10 अगस्त, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2017

G.S.R. 543 (E).—Whereas the draft of certain rules to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 were published as required by sub-section (1) of Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), in the notification of the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 392(E), dated the 20th April, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th April, 2017;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the words “Child Labour”, the words “Child and Adolescent Labour” shall be substituted.
3. In rule 2 of the principal rules, --
 - (i) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

- ‘(a) “Act” means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986);
- (b) “Committee” means the Technical Advisory Committee constituted under sub-section (1) of section 5 of the Act;’;
- (ii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - ‘(da) “Fund” means the Child and Adolescent Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of section 14B of the Act;
 - (db) “Inspector” means the Inspector appointed by the Central Government under section 17;
 - (dc) “Municipality” means an institution of self-Government constituted under article 243Q of the Constitution;’;
- (iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
 - ‘(ea) “Panchayat” means a Panchayat constituted under article 243B of the Constitution;’;
- (iv) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
 - “(h) words and expressions used in these rules, but not defined therein and defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.”.

4. After rule 2 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:-

‘2A. Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in contravention to Act.- The Central Government, to ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures, shall –

- (a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media and mass media including television, radio, internet based application and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;
- (b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the Central Government;
- (c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in railway coaches, at railway stations, major bus stations, toll plazas, ports and port authorities, airports and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, Panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, educational institutions, court complexes, and offices of all authorities authorised under the Act;
- (d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; and
- (e) promote inclusion of training and sensitisation material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in Central Labour Service, police, judicial and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitisation programmes for other relevant stakeholders including, Panchayat members, doctors and concerned officials of the Government.

2B. Child to help his family without affecting education.- (1) Subject to the provisions of section 3, a child may, without affecting his school education, in any manner, –

- (a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help, --
 - (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and Part B of the Schedule to the Act;
 - (ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing, production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;
 - (iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where his family is the occupier;
 - (iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8 a.m.;
 - (v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;
 - (vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;

- (vii) shall not include in anyway substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; and
- (viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force;
- (b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child.

Explanation 1.- For the purposes of this rule, only –

- (a) biological brother and sister of the child;
- (b) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; and
- (c) biological brother and sister of parents of the child,

shall be included for comprising the family of a child.

Explanation 2.- For the purposes of *Explanation 1*, it is hereby clarified that preliminarily, any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, may be removed by examining the pedigree of such person issued by the concerned Municipality or Panchayat, as the case may be, or any other legal document issued by concerned authority of the appropriate Government.

(2) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 17C for information.

2C. Child to work as an artist.- (1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely: –

- (a) no child shall be allowed to work for more than five hours in a day, and for not more than three hours without rest;
- (b) any producer of any audio –visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed, and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants, consent of parents or guardian, as the case may be, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child, and ensure that all screening of his films and television programmes shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in the shooting, then, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting;
- (c) the undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central Government from time to time for such purpose including –
 - (i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;
 - (ii) timely nutritional diet of the child;
 - (iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily necessities; and
 - (iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences;
- (d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days;
- (e) one responsible person be appointed for maximum of five children for the production or event, so as to ensure the protection, care and best interest of the child;
- (f) at least twenty per cent, of the income earned by the child from the production or event to be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalised bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining majority; and
- (g) no child shall be made to participate in any audio visual and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent.

(2) For the purposes of clause (c) to the *Explanation* to sub-section (2) of section 3, the expression “such other activity” contained therein, shall mean –

- (i) any activity where the child himself is participating in a sports competition or event or training for such sports competition or event;
- (ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows; radio and any programme in or any other media;
- (iii) drama serials;
- (iv) participation as anchor of a show or events; and
- (v) any other artistic performances which the Central Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.’

5. After rule 15 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“15A. **Hours of work.**— Subject to the provisions of section 7, no adolescent shall be required or permitted to work in an establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such establishment.”.

6. In rule 16 of the principal rules, in sub-rule (1), for the word “children”, the word “adolescents” shall be substituted.

7. After rule 16 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“16A. **Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund.**— (1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub-section (3) of section 14B to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely:-

- (i) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalised bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of section 14B;
- (ii) the interest accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every six months to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;
- (iii) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub-section (3) of section 14B, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and
- (iv) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iii) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the Central Government for information.

(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgement of a Court in favour of a child or adolescent for the contravention of the provisions of the Act, shall also be deposited in the Fund and shall be spent in accordance with such order or judgement.”.

8. For rule 17 of the principal rules, the following rule shall be substituted, namely:-

‘17. **Certificate of age.**— (1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority.

(2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account —

- (i) the Aadhar card of the adolescent, and in the absence thereof;
- (ii) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;
- (iii) the birth certificate of the adolescent given by a corporation or a municipal authority or a Panchayat;

and only in the absence of any of the methods specified in clauses (i) to (iii), the age shall be determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.

(3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority of the rank of Additional Labour Commissioner, as may be specified by the Central Government in this behalf, and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.

(4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B.

(5) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the Central Government or the State Government, as the case may be, for their Medical Boards.

(6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.

Explanation.- For the purposes of this rule, –

- (i) “medical authority” means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees’ State Insurance dispensaries or hospitals;
- (ii) “adolescent” means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act.’

9. After rule 17 of the principal rules, the following rules shall be inserted, namely:-

“17A. **Persons who may file complaint.**- Any person who may file a complaint under the Act for commission of any offence include school teachers and representatives from school management committee, child protection committee, Panchayat or Municipality, who shall be sensitised to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act.

17B. **Manner of compounding offences.**- (1) An accused person,-

- (i) who commits an offence for the first time under sub-section (3) of section 14; or
- (ii) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section,

may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of section 14D.

(2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to –

- (i) the payment of a sum of fifty per cent; of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or
- (ii) the payment of an additional sum of twenty-five per cent; of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified period, and such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate, which shall not exceed the period specified in that clause.

(3) The compounding amount shall be paid by the accused person to the Central Government.

(4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of section 14D.

17C. **Duties of District Magistrate.** - (1) The District Magistrate shall –

- (i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called nodal officers, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the Central Government under section 17A;
- (ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer;
- (iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in a district consisting of –
 - (a) Inspector appointed under section 17 for the purposes of his local limits of jurisdiction;

- (b) Superintendent of Police for the purposes of his local limits of jurisdiction;
- (c) Additional District Magistrate for the purposes of his local limits of jurisdiction;
- (d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes of his local limits of jurisdiction;
- (e) Assistant Labour Commissioner (Central) for the purposes of his local limits of jurisdiction;
- (f) two representatives each from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years;
- (g) a representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge;
- (h) a member of the District Anti-trafficking Unit;
- (i) Chairperson of the Child Welfare Committee of the District;
- (j) District Child Protection Officer in the District under the Integrated Child Protection Scheme of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development;
- (k) District Education Officer;
- (l) any other person nominated by the District Magistrate;
- (m) Secretary of the Task Force shall be any of the nodal officers referred to in clause (i) and nominated by the Chairperson.

(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central Government from time to time; and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the Central Government.

(3) In addition to the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated –

(a) in accordance with the provisions of –

- (i) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and the rules made there under;
- (ii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976);
- (iii) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016;
- (iv) any National Child Labour Project;
- (v) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated; and subject to -
 - (I) the directions, if any, of a court of competent jurisdiction;
 - (II) the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central Government from time to time in this regard.

17D. Duties of Inspectors.— An Inspector appointed by the Central Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall –

- (i) comply with the norms of inspection issued by the Central Government from time to time;
- (ii) comply with the instructions issued by the Central Government from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and
- (iii) report the Central Government quarterly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.

17E. Periodical inspection and monitoring.— The Central Government shall create a system of monitoring and inspection for carrying into effect the provisions of section 17, which may include—

- (i) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out;
- (ii) the intervals at which an Inspector shall report to the Central Government complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (i) and the details of action taken by him thereafter;

(iii) maintenance of record electronically or otherwise of-

- (a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act;
- (b) number and details of the offences compounded;
- (c) details of compounding amount imposed and recovered; and
- (d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.”.

10. In Form A appended to the principal rules, in the heading of column 2, for the words “Name of child”, the words “Name of adolescent” shall be substituted.

11. After Form B appended to the principal rules, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM C

[See Rule 2C(1)(b)]

Undertaking under rule 2C(1)(b) of the
Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988

I producer of an audio visual media production or organiser of a commercial event, involving the participation of the following child/children, namely:-

S.No.	Name of the Child/ Children	Parent's/Guardian's Name	Address
-------	--------------------------------	-----------------------------	---------

do hereby undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child/children in the event(specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1988 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirements of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied.

Dated:.....

Name and signature of the Producer.”.

[No.A-42025/2/2004-CL (Vol.IV)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide G.S.R 847(E), dated the 10th August, 1988.



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

स्वाधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 16, गुरुवार, शाके 1940-मार्च 7, 2019
Phalguna 16, Thursday, Saka 1940-March 7, 2019

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 7, 2019

जी.एस.आर.112 :-राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय प्रारूप नियम अधिसूचना दिनांक 3.5.2018 द्वारा राजस्थान राजपत्र असाधारण, भाग-3 (ख) में प्रकाशित किये गये थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और राजपत्र की प्रतियां आम जन को 21 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में आम जन से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

अतः, अब राज्य सरकार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियम)(संशोधन), नियम, 2018 है।
- (2) ये नियम इनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.- राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा जायेगा,

के नियम 1 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बाल श्रमिक", को अभिव्यक्ति "बालक और कुमार श्रम" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. नियम 2 का संशोधन.— मूल नियमों के नियम 2 में,—

(i) विद्यमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(क) "अधिनियम" से बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) अभिप्रेत है।"; तथा

(ii) विद्यमान खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (ड) तथा (ण) जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"(ड) "समिति" से अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन गठित तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

"(ण) "निधि" से अधिनियम की धारा 14ख की उप-धारा (1) पुनर्वास निधि अभिप्रेत है।"

4. नये नियम 2अ, 2आ, तथा 2इ का अन्तःस्थापन.— मूल नियमों के विद्यमान नियम 2 के पश्चात् तथा विद्यमान नियम 3 से पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 2अ, 2आ, तथा 2इ अन्तःस्थापित किये जायेगे, अर्थात्:—

"2अ. अधिनियम के उल्लंघन में बालकों और कुमारों के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता.— राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों और किशोरों को नियोजित न किया जाये या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिये अनुज्ञात न किया जाये, समुचित उपयों के माध्यम से,—

(क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मिडिया है ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों और कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता हैं, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाये जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बालकों और कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके;

- (ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या कुमारों के नियोजन की घटनाओं की राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये संचार के आसानी से पहुँचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन;
- (ग) संभव परिणाम तक अधिनियम, इन नियमों और उनसे संबंधित सूचना का मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजास और अन्य लोक स्थानों, जिसके तहत शॉपिंग सेंटर, मार्केट, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासी कल्याण संगम कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैक्षिक संस्थाएँ, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय हैं, में प्रदर्शन;
- (घ) समुचित विधि के माध्यम से विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम में संवर्धन; और
- (ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अंतर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक हैं, के लिये संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना।
- 2आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना,— धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,—
- (क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,—
- (i) अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं होगी;
 - (ii) में विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रृंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो;

- (iii) मैं उसके कुटुंब या कुटुंब उपक्रम की सहायता करने के लिए वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है;
 - (iv) मैं वह विद्यालय समय और 7 बजे सायं से 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा;
 - (v) मैं वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम हैं, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई हैं;
 - (vi) मैं बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें और उसे उसके स्वास्थ्य और मरिस्थ को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नहीं करेगा;
 - (vii) मैं किसी बालक का किसी वयस्क या कुमार के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नहीं है; और
 - (viii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी; और
- (ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारोबार या किसी संदाय या बालक को फायदे या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल,—

- (क) बालक का सगा भाई और बहन;
- (ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन; और

(ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन, को बालक के कुटुंब में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: (1) स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभतः इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जांच करके दूर किया जा सकेगा।

(2) जहां विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक सूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 20ग के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा।

2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना.— (1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) किसी बालक को एक दिन में पाँच घण्टे से ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के तीन घंटों के अनधिक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्बलित है, का निर्माता बालक की सहभागिता को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यक्रमलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्रपत्र-4 में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यष्टिक का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उत्तरदायी है, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्कलेमर का विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि

किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरुपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो के लिए सभी उपाय किए गए हैं;

(ग) खंड ख में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमाम्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके अंतर्गत,—

- (i) बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का सुनिश्चय;
- (ii) बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार;
- (iii) दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय, और
- (iv) बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रयुक्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनका शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए अधिकार हैं;

(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालयों में पाठों की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वात्म्य हित का सुनिश्चय किया जा सके;

(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम बीस प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बालक के नाम से नियत जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सकेगा; और

(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध किसी श्रव्य-दृश्य और क्रीड़ा कार्यक्रमलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यक्रमलाप भी हैं, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 3 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्गुह "अन्य ऐसा कार्यकलाप" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

- (i) कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल, प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल, प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है;
- (ii) दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम है;
- (iii) नाटक, सीरियल;
- (iv) किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी; और
- (v) कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसके अंतर्गत धनीय फायदे के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन सम्मिलित नहीं है।

5. नियम 15 का संशोधन.— मूल नियमों के विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"15. कार्य के घंटे.— धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी कुमार से किसी स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने कि ऐसे स्थापन में कुमार के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय है।"

6. नियम 16 का संशोधन.— मूल नियमों के नियम 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति "बालकमी" को अभिव्यक्ति "कुमार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

7. नया नियम 16अ का अन्तःस्थापन.— मूल नियमों के विद्यमान नियम 16 के पश्चात् तथा विद्यमान नियम 17 से पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 16अ अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"16अ. बालक या कुमार को बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय.— (1) धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि में, ब्याजस्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उद्भूत ब्याज का उस बालक या कुमार को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थात:—

- (i) अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या कुमार का एक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाए और

यथास्थिति, उस बैंक को, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा या विनियोजित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को संसूचित करेगा;

- (ii) बालक या कुमार के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्द्धवार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या कुमार के खाते में, बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निरीक्षक को सूचना के अधीन;
 - (iii) जब संबद्ध बालक या कुमार अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथासंभव शीघ्र या तीन मास की अवधि के भीतर, बालक के पक्ष में उस पर उदभूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या विनिधान की गई कुल रकम, बालक या कुमार के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी; और
 - (iv) निरीक्षक संबद्ध बालक या कुमार की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हैं, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।
- (2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बालक या कुमार के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई रकम भी निधि में जमा की जाएगी और ऐसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।

8. नियम 20 का संशोधन.— मूल नियमों के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"20 आयु का प्रमाण पत्र.— (1) जहां निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी कुमार को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिनमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहां वह ऐसे कुमार के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाणपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करें।

(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुमार की परीक्षा करते समय,—

- (i) कुमार का आधार कार्ड, और उसके अभाव में;

- (ii) विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या, कुमार के संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;
- (iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए कुमार के जन्म प्रमाणपत्र पर विचार करेगा; और खंड (i) से खंड (iii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी।
- (3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण जिला स्तरीय श्रम अधिकारी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाणपत्र प्रपत्र-1 में जारी किया जाएगा।
- (5) आयु प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार वहीं होंगे जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाए।
- (6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय प्रभार उस कुमार के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए,—

- (i) "चिकित्सा प्राधिकारी" से ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक अभिप्रेत है;
- (ii) "कुमार" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित कुमार अभिप्रेत है।

9. नये नियम 20क, 20ख, 20ग, 20घ तथा 20ड, का अन्तःस्थापन,—
मूल नियमों के नियम 20 के पश्चात् तथा विद्यमान नियम 21 से पूर्व, निम्नलिखित नये नियम 20क, 20ख, 20ग, 20घ तथा 20ड, अन्तःस्थापित किये जायेंगे; अर्थात्:—

"20क. व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे.— ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किये जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, में स्कूल प्रबंधन समिति, बालक संरक्षण समिति,

पंचायत या नगरपालिका से स्कूल अध्यापक और प्रतिनिधि सम्मिलित है, जो उस दशा में परिवार फाइल करने के लिए संवेदनशील होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित तो नहीं किया जा रहा है।

20 ख. अपराधों का शमन करने की रीति.— (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति,—

- (i) जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या
- (ii) जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है, धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाणपत्र जारी करेगा,—

- (i) ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय; या
- (ii) खंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय, यदि अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है ऐसा विलंबित संदाय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट की जाने वाली और अवधि, जो उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।

(3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी।

(4) यदि अभियुक्त व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी।

20ग. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य.— (1) जिला मजिस्ट्रेट,—

- (i) नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे,

विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।

- (ii) नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।

- (iii) निम्नलिखित से मिलकर बनाए जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा:-

- (क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;
 - (ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए पुलिस अधीक्षक;
 - (ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट;
 - (घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;
 - (ङ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए जिले का सर्वोच्च श्रम अधिकारी;
 - (च) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन से दो-दो प्रतिनिधि;
 - (छ) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और
 - (ज) जिला दुर्व्यापार निवारण यूनिट का सदस्य;
 - (झ) जिले की बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष;
 - (ञ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की एकीकृत बालक संरक्षण स्कीम के अधीन जिला बाल श्रम संरक्षण अधिकारी;
 - (ट) जिला शिक्षा अधिकारी;
 - (ठ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति;
 - (ड) कार्य बल का सचिव खंड (i) में निर्दिष्ट कोई नोडल अधिकारी होगा और अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;
- (2) उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास के कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि

के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की मोपनीयता, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितों और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्यवाई योजना बनाएगा और कार्य बल राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और कुमार, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार पुनर्वसित किया जायेगा,—

- (i) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) तथा तद्दीन बनाए गए नियम;
- (ii) बंघित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं.19);
- (iii) केन्द्रीय बंघित श्रमिक पुनर्वास सेक्टर स्कीम, 2016;
- (iv) कोई जिला बाल श्रम परियोजना;
- (v) तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि या स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या कुमारों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यक्षीन—
(क) रक्षक अधिकारिता के न्यायालय के निर्देश, यदि कोई हों;
(ख) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

20घ. निरीक्षकों के कर्तव्य.— धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक, अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए,—

- (i) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्धियों का अनुपालन करेगा;
- (ii) इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और
- (iii) इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में राज्य सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा।

20ड. आवधिक निरीक्षण और मॉनीटर करना— राज्य सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण की प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

- (i) उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों के नियोजन प्रतिषिद्ध है और परिसंवेदन्य व्यवसायों या प्रसंस्करण किए जाते हैं;
- (ii) ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खण्ड (i) के अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कारवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;
- (iii) निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अभिलेख का रखा जाना,—
 - (क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और कुमार, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते हैं;
 - (ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;
 - (ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और
 - (घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं के ब्यौरे।

10. प्रपत्र-1 का संशोधन.— मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-1 में विद्यमान अभिव्यक्ति "बालक के अंगूठे की नाम/हस्ताक्षर", को अभिव्यक्ति "कुमार के अंगूठे की नाम/हस्ताक्षर" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. प्रपत्र-2 का संशोधन.— मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "बालक का नाम" को अभिव्यक्ति "कुमार का नाम" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. प्रपत्र-3 का संशोधन.— मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियोजित बाल श्रमिकों की संख्या" को अभिव्यक्ति "नियोजित बालक और कुमार श्रमिकों की संख्या" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. नया प्रपत्र-4 का जोड़ा जाना.— मूल नियम से संलग्न प्रपत्र-3 के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्रपत्र-4 जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"प्रपत्र-4

(नियम 2इ(1)(ख) देखिए)

बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996 के नियम
2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध

मैं वाणिज्यिक आयोजन
का श्रेष्ठ दृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक
का उत्पादक हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात्—
क्र.सं. बालक/बालकों का नाम माता-पिता/संरक्षक का नाम पता

यह वचन देता हूँ कि आयोजन
(आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में ऊपर उल्लेखित बालकों के शामिल होने
के दौरान, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम,
1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) और बालक और कुमार
श्रम (प्रतिषेध और विनियम) नियम, 1996 के किसी उपबंध का उल्लंघन
नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य
अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न
हो। मैं यह भी वचन देता हूँ कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण,
जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक
अपराधों के विरुद्ध विधिक उपबंध भी हैं, के लिए तत्समय प्रवृत्त लागू सभी
विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक.....

नाम और हस्ताक्षर।"।

[संख्या एफ.14(13)(11)श्रम/विधि/2018]

राज्यपाल के आदेश से,
सी.बी.एस.राठौड़,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक एफ.16(8)बा.श्र./मा0स0प्र0/श्रम/2021/33807

जयपुर दिनांक 12/10/2021

आदेश

विषय:- बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 एवं बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 संशोधित नियम, 2017 तथा राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन)(संशोधन) नियम, 2018 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया।

बाल श्रम एक अपराध के साथ-साथ सामाजिक बुराई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुये भारतीय संविधान के "अनुच्छेद 24" में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का कारखानों, खदानों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में नियोजन प्रतिबंधित किया हुआ है। बाल श्रम कई प्रकार के व्यवसायों में पाया जाता है, जिसमें जोखिमपूर्ण और गैर जोखिमपूर्ण दोनों के प्रकार के व्यवसाय आते हैं। बाल श्रम की रोकथाम केवल एक विभाग का दायित्व न होकर कई विभागों यथा-सामाजिक न्याय, बाल अधिकारिता, पुलिस, श्रम विभाग इत्यादि का संयुक्त दायित्व है। यह एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है एवं इसके उत्सादन व निवारण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जा रही हैं।

सर्व प्रथम बाल श्रम को रोकने के लिये "बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986" पारित कर लागू किया गया। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन कर "बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016" लागू किया गया, जिसकी "धारा-3" के तहत 14 वर्ष तक के बालक/बालिकाओं का सभी प्रकार के नियोजनों में तथा "धारा 3(अ)" के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कुमार/कुमारियों हेतु जोखिमपूर्ण कार्यों (अधिनियम की अनुसूची-अ में वर्णित) में नियोजन प्रतिबंधित किया गया है। उक्त के उल्लंघन करने पर "धारा-14" के तहत दोषी व्यक्ति को 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास एवं 20 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय अपराध बनाया गया है। राज्य द्वारा उक्त अधिनियम के तहत "राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन)(संशोधन) नियम, 2018" दिनांक 07.03.2019 को अधिसूचित किये गये।

इसके साथ ही बाल श्रम के संबंध में प्रभावी रूप से कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से "किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015" की "धारा 79" के अंतर्गत बाल श्रमिक के जबरन नियोजन एवं शोषण के संबंध में दोषी नियोजक को 05 वर्ष तक के कारावास एवं 01 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में बालक/कुमार श्रमिकों की अवमुक्ति एवं पुनर्वास आदि के संबंध में "मानक संचालन प्रक्रिया"(एस.ओ.पी) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

पुलिस विभाग (मानव तस्करी विरोधी यूनिट सहित):-

1. बालक श्रमिक नियोजन की जानकारी पुलिस हेल्पलाईन नं-100, चाइल्ड लाइन नं- 1098, राजस्थान संपर्क, श्रम विभाग अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होने पर सक्रियता एवं गोपनीयता से भाग लिया जाना ।
2. बालक श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु प्रत्येक थाना स्तर पर पदस्थापित "बाल कल्याण अधिकारी" द्वारा गोपनीयता एवं सक्रियतापूर्वक संबंधित विभागों व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि आदि के साथ समन्वित कार्यवाही करना ।
3. प्रत्येक थाने में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के संभावित बाल श्रम बाहुल्य संस्थानों यथा होटल ढाबे, कारखाना (चूड़ी एवं आरा-तारी उद्योग सहित) व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि पर सतत निगरानी रखना ।
4. मुक्त कराये गये बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आश्रय स्थल/बाल गृह में पुनर्वास हेतु भेजना ।
5. बाल श्रमिकों का नियोजन अब एक संज्ञेय अपराध है (Cognizable Offence) ऐसे में नियोक्ता के विरुद्ध समग्र कार्यवाही सुनिश्चित करना ।
6. बाल श्रमिक नियोजित करने वाले नियोक्ता के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये अपराध से संबंधित कानूनों "बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016", किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 आदि की समुचित धाराओं के तहत परिवाद दर्ज करने की कार्यवाही कर अनुसंधान उपरांत अनुवृत्ति कार्यवाही करना ।
7. अनुसंधान के समय बाल श्रम तस्करी आदि में संलिप्त गिरोहों, समूहों एवं दलालों आदि की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करना ।
8. पुलिस थाना स्तर पर होने वाली शांति समिति की बैठक के एजेण्डा में बाल श्रम नियोजन के बिन्दु को रखना और सभी सदस्यों को इससे संबंधित अधिनियमों एवं बाल श्रम नियोजन के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने के लिये जागरूक करना ।
9. रेल्वे सुरक्षा बल से समन्वय कर बाल श्रम के लिये बालकों की तस्करी करने वाले गिरोहों, समूहों एवं दलालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना ।
10. पुलिस थानों में नियुक्त "बाल कल्याण अधिकारियों" का समय-समय पर विधिक प्रशिक्षण दिया जावे ताकि राज्य में बाल श्रम से संबंधित प्रकरणों में विधिक कार्यवाही की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके ।

श्रम विभाग :-

1. बाल श्रम की रोकथाम हेतु "जिले की बाल श्रम टास्कफोर्स" की नियमित बैठक आयोजित करायी जाकर, जिला कलक्टर महोदय से कार्यवाही विवरण अनुमोदन कराने के उपरांत सभी संबंधितों को प्रेषित करना ।
2. टास्क फोर्स की बैठक में लिये गये निर्णयों पर सभी संबंधित विभागों से अनुवृत्त (फॉलोअप) कार्यवाही करना ।
3. बाल श्रमिकों की अवमुक्ति के उपरांत श्रम निरीक्षक द्वारा उसके बयान दर्ज कर उसके न्यूनतम वेतन/वेतन भुगतान दिलाये जाने हेतु विद्यमान अधिनियमों/कोड के तहत दावे/क्लेम प्रस्तुत करना तथा उक्त दावों के निर्णयों के अनुसार संबंधित बाल/कुमार श्रमिक को राहत दिलाया जाना ।
4. बाल/कुमार श्रम संबंधित प्रकरणों में स्थिति अनुसार विद्यमान श्रम अधिनियमों/कोड के तहत कार्यवाही किया जाना ।
5. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 की "धारा 14(ख)" के तहत स्थापित " बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि" में न्यायालय के माध्यम से दोषी नियोजकों से वसूल की गयी जुर्माना राशि जमा होने पर, उक्त नियोजक से संबंधित मुक्त कराये गये प्रत्येक बालक/कुमार श्रमिक के हितार्थ 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) राशि उक्त निधि में जमा कराते हुए अधिनियम अनुसार कार्यवाही करना ।

बाल अधिकारिता विभाग

1. राज्य के समस्त जिलों की बाल कल्याण समितियों को सक्रिय रखना ।
2. जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा बाल श्रमिकों की सूचना मिलने पर संबंधित पुलिस थाने को उक्त बच्चों को मुक्त कराने हेतु आदेश जारी करना । उक्त बच्चों की अवमुक्ति के समय जिले में बाल श्रम रोकथाम हेतु सक्रिय स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जाना ।
3. जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत अवमुक्त बालक/कुमार श्रमिक की स्थिति का आकलन करते हुए समुचित पुनर्वास कार्यवाही करना तथा प्रदत्त निर्णय से जिला कलक्टर एवं श्रम विभाग को अवगत कराना ।
4. अवमुक्त बालक/कुमार श्रमिक का विद्यमान अधिनियमों/योजनाओं/दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्वास करना ।
5. अन्य राज्यों के अवमुक्त बालक/कुमार श्रमिकों के संबंध में उनके गृह जिले की बाल कल्याण समिति से समन्वय कर उनका प्रत्यावर्तन (Repatriation) करना । इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से "राज्य स्तरीय समन्वय तंत्र" की स्थापना हेतु कार्यवाही करना ।

6. मुक्त कराया गया बालक/कुमार श्रमिक यदि स्थानीय क्षेत्र का है तो तत्काल जिले के शिक्षा विभाग को सूचित कर उसको शिक्षा से जोड़ने की कार्यवाही करना।
7. जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत अवमुक्त बालक/कुमार श्रमिकों की सूचना मासिक रूप से जिले के श्रम विभाग को प्रेषित करना तथा पूरे राज्य की समेकित सूचना श्रम विभाग, मुख्यालय, जयपुर को मासिक रूप से प्रेषित करना।

जिला बाल संरक्षण इकाई :-

1. बाल कल्याण समिति के आदेश उपरान्त अवमुक्त बाल/कुमार श्रमिकों को अल्पकालिक आवास, भोजन, कपड़े, चिकित्सकीय सुविधा आदि उपलब्ध कराना।
2. राज्य के निराश्रित बाल/कुमार श्रमिकों का जिले में संचालित बालगृहों में नामांकन करते हुए संस्थागत पुनर्वास करना।
3. जिला स्तर पर सभी संबंधितों के साथ त्रैमासिक बैठक आयोजित करना एवं रिपोर्ट बाल अधिकारिता विभाग को प्रेषित करना।

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण इकाई :-

1. ब्लॉक में सम्मिलित समस्त पंचायतों में बाल श्रम से संबंधित जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाकर ब्लॉक को "बाल श्रम मुक्त" बनाने हेतु कार्यवाही करना।
2. ब्लॉक में बाल श्रम रोकथाम हेतु सक्रिय स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु जनसामान्य में प्रचार-प्रसार करते हुए इसके विरुद्ध वातावरण तैयार करना।
3. ब्लॉक स्तर पर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

ग्रामीण स्तरीय बाल संरक्षण इकाई :-

1. ग्राम में बाल श्रम से संबंधित जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाकर ग्राम को "बाल श्रम मुक्त" बनाने हेतु कार्यवाही करना।
2. ग्राम स्तर पर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन कराते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
3. संभावित बाल श्रमिक/मुक्त कराये गये बाल श्रमिक एवं उसके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग/अन्य विभाग की योजनाओं का लाभ लेने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से पात्रानुसार लाभान्वित करना।

शिक्षा विभाग :-

1. "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की पूर्ण पालना करते हुए सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करना।
2. बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1988 संशोधित नियम, 2016 के "नियम 2(ख)(2)" के तहत विद्यालय प्रधान को बिना सूचित किये विद्यालय से लगातार 30 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले बालक/बालिकाओं की सूचना जिले के बाल श्रम नोडल अधिकारी (वर्तमान में जिले में पदस्थापित श्रम निरीक्षक) को मासिक रूप से प्रेषित करना।
3. मुक्त कराये गये बाल/कुमार श्रमिकों के संबंध में विशेष रूचि लेते हुए सीधे ही विद्यालय में प्रवेश देने की कार्यवाही करना।
4. बाल/कुमार श्रमिक को शिक्षित करने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार की विद्यमान योजनाओं का लाभ दिया जाना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-

1. मुक्त कराये गये बालक/कुमार श्रमिकों का चिकित्सा परीक्षण करना और उसकी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, श्रम विभाग को भेजना।
2. आवश्यकतानुसार बाल श्रमिक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
3. आवश्यकता होने पर आयु प्रमाण पत्र बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग, श्रम विभाग को उपलब्ध कराना।

जिला प्रशासन:-

1. जिले की बाल श्रम टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित कराते हुए जिले की स्थिति अनुसार बाल श्रम की रोकथाम हेतु संबंधित विभागों के माध्यम से समग्र कार्यवाही सुनिश्चित करना।
2. जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रमिक/तस्करी पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
3. जिले के प्रमुख औद्योगिक/व्यावसायिक संगठनों/व्यापार मण्डलों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर बच्चों का नियोजन नहीं करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करना।
4. जिले के प्रमुख सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर बाल श्रम के संबंध में चर्चा की जाकर जन सामान्य में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
5. अवमुक्त बालक/कुमार श्रमिक को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में पात्रतानुसार लाभान्वित करना।
6. बाल/कुमार श्रमिकों के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति आंकलन करते हुए स्थिति अनुसार उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभाग की विद्यमान योजनाओं के तहत नियमानुसार लाभ प्रदान करना।

7. बाल/कुमार श्रमिकों के परिवार के वयस्क सदस्यों को नरेगा आदि विकास कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता से कार्य उपलब्ध कराना।
8. स्थानीय क्षेत्र में बाल श्रमिक अधिक संख्या में हो तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवासीय विद्यालयों से जोड़ा जाना।
9. संभावित/अवमुक्त बाल श्रमिकों को शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यालय में प्रवेश देने की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
10. संभावित/अवमुक्त कुमार श्रमिकों का राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की योजनाओं का लाभ देते हुए उनका रोजगारपरक कौशल विकास करना।
11. राज्य में मुक्त कराए गये अन्य राज्यों के बाल/कुमार श्रमिकों की सुरक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में अन्य राज्य के विभागों/निकायों जैसे रेलवे प्रशासन, परिवहन आदि से सहायता लेना।
12. जिले में नियमित रूप से बाल श्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना।

बाल श्रम उन्मूलन हेतु जिला स्तर पर की गई समस्त कार्यवाही की सारभूत रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष जून एवं दिसम्बर माह में अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रेषित की जावेगी।



(निरंजन आर्य)

मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.16(8)बा.श्र./मा0स0प्र0/श्रम/2021/33808-915
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

जयपुर दिनांक 12/10/2021

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
10. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
11. संभागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, समस्त राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।



(डॉ० नीरज के०पवन)

शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन
राजस्थान, जयपुर।